

मसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 369] No. 369] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 27, 2009/फाल्गुन 8, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 27, 2009/PHALGUNA 8, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 569(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सीप्ज विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय सीप्ज विशेष आर्थिक जोन, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई में होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे अर्थात् :—

9	क्र. सं. सदस्य	पदनाम
1	1. विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2	 संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, मुम्बई अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा 	—सदस्य, पदेन
3	3. संयुक्त विकास आयुक्त, सीप्ज विशेष आर्थिक जोन	—सदस्य, पदेन
4	 वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सिंच अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सिंचव से कम नहीं होगा 	वव —सदस्य, पदेन
5	5. श्री अमर कोठारी, प्रबंध निदेशक, इंटरगोल्ड (आई) प्रा. लि.	—सदस्य
6	6. श्री राजीव वसंत शेठ, प्रबंध निदेशक, तारा अल्टिमो प्रा. लि.	—सदस्य

फा. सं. ए-2/1/2008-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 569(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the SEEPZ Special Economic Zone Authority, having its head office at SEEPZ Special Economic Zone, Andheri (East), Mumbai consisting the following members, namely:—

Sl. No.	Members	Designation
1.	Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Mumbai or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	-Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, SEEPZ Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	—Member, ex-officio
5.	Shri Amar Kothari, MD, Intergold (I) Pvt. Ltd.	Member
6.	Shri Rajiv Vasanth Sheth, MD, Tara Ultimo Pvt. Ltd.	Member
		[F. No. A-2/1/2008-SEZ

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 570(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा नोएडा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय नोएडा विशेष आर्थिक जोन, दादरी रोड, नोएडा में होगा और जिसमें निन्नलिखित सदस्य शिमल होंगे अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम
1	विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कानपुर, उत्तर प्रदेश अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3	संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन
4	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा ।	—सदस्य, पदेन
5	श्री राजीव प्रसाद, प्रबंध निदेशक, फिनिक्स लैम्प्स लि.	—सदस्य
6	श्री पुनीत कपूर, भागीदार, ए पी के आईडेन्टिफिकेशन	—सदस्य

[फा. सं. ए -2/1/2008-एसईजेड] अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 570(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Noida Special Economic Zone Authority, having its head office at Noida Special Economic Zone, Dadri Road, Noida, consisting the following members, namely:—

Sl. No.	Members	Designation
1.	Development Commissioner, Noida Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
	Joint Director General of Foreign Trade, Kanpur, Uttar Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	-Member, ex-officio
(Joint Development Commissioner, Nodia Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
r	foint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	Member, ex-officio
5. 5	Shri Rajiv Prasad, MD, Phoenix Lamps Ltd.	Member
6. 5	Shri Puneet Kapoor, Partner, APK Identification	Member.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 571(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कोचीन विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय कोचीन विशेष आर्थिक जोन, कक्कानाड, कोचीन में होगा और जिसमें निन्नलिखित सदस्य शमिल होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम	
1.	विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन	,
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोचीन, केरल अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन	
3.	संयुक्त विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन	
4.	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा।	—सदस्य, पदेन	
5.	श्री एन जहाँगीर, प्रबंध निदेशक, एस एफ ओ टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.	—सदस्य	
6.	श्री जितन आर. मेहता, सी एम डी, सूरज डायमंड्स ज्वैलरी लि.	—सदस्य	

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 571(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Cochin Special Economic Zone Authority, having its head office at Cochin Special Economic Zone, Kakkanad, Cochin consisting the following members, namely:—

Sl. No	Members	Designation
1.	Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Cochin, Kerala or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	—Member, ex-officio
5.	Shri N. Jehangir, MD, SFO Technologies Pvt. Ltd.	Member
6.	Shri Jathin R. Mehta, CMD, Suraj Diamonds Jewellery Ltd.	—Member
		[F. No. A-2/1/2008-SEZ]

ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 572(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन, दुव्वाडा, विशाखापत्तनम में होगा और जिसमें निन्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम
1.	विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	संयुक्त विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन
4.	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त संचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा।	—सदस्य, पदेन
5.	श्री शास्त्री पुल्लेला, निदेशक एवं भागीदार, जिथ टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लि.	—सदस्य
6.	श्री संजय जैन, प्रबंध निदेशक, आर एस डब्ल्यू वी एग्जिम प्रा. लि.	—सदस्य

[फा. सं. ए 2/1/2008-एसईजेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 572(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Visakhapatnam Special Economic Zone Authority, having its head office at Visakhapatnam Special Economic Zone, Duvvada, Visakhapatnam, consisting the following members, namely:—

S.No.	Members	Designation
1.	Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Visakhapatnam, Andhara Pradesh or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	—Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	Member, ex-officio
5.	Shri Sastry Pullela, Director & Partner, Xinthe Technologies Pvt. Ltd.	Member
6.	Shri Sanjay Jain, MD, RSWV Exim Pvt. Ltd.	—Member
	ALLES ALMANIA	[F. No. A 2/1/2008-SEZ]
		ANIL MUKIM, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 573(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा मद्रास विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय मद्रास विशेष आर्थिक जोन, ताम्बरम, चेन्नई में होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम
1.	विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, चेन्नई, तमिलनाडु अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	संयुक्त विकास आयुक्त, एम ई पी जेड विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन
4.	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा ।	—सदस्य, पदेन
5.	श्री टी. बी. इम्बीचम्मड, सी एम डी, एवलॉन टेक्नोलॉजीज (प्रा.) लि.	—सदस्य
6.	श्री पी. मुगुन्दन, प्रबंध निदेशक, इगारशी मोटर्स (आई) प्रा. लि.	—सदस्य

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 573(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Madras Special Economic Zone Authority, having its head office at MEPZ Special Economic Zone, Tambaram, Chennai, consisting the following members, namely:—

S.No.	Members	Designation
1.	Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Chennai, Tamil Nadu or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	—Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, MEPZ Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	Member, ex-officio
5.	Shri T.B. Imbichammad, CMD, Avalon Technologies (P.) Ltd.	Member
6.	Shri P. Mugundan, MD, Igarshi Motors (I) Pvt. Ltd.	Member
		[F. No. A 2/1/2008-SEZ]
		ANII MUKIM It Secv

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 574(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा कांडला विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय कांडला विशेष आर्थिक जोन, गाँधीधाम में होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :—

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम
1.	विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, राजकोट, गुजरात अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	संयुक्त विकास आयुक्त, कांडला विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन
4.	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा।	—सदस्य, पदेन
5.	श्री अजय कोठारी, प्रबंध निदेशक, श्मेट्ज इंडिया प्रा. लि.	—सदस्य
6.	श्री एच. आई वाशी, कार्यकारी निदेशक, मेसो प्रा. लि.	—सदस्य

[फा. सं. ए. 2/1/2008-एस ई जेड]

अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 574(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Kandla Special Economic Zone Authority, having its head office at Kandla Special Economic Zone, Gandhidham, consisting the following members, namely:-

S.No.	Members	Designation
1.	Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Rajkot, Gujarat or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, Kandla Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	. —Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	Member, ex-officio
5.	Shri Ajay Kothari, MD, Schmetz India Pvt. Ltd.	Member
6.	Shri H.I. Vashi, Executive Director, Meso Pvt. Ltd.	Member
		[F. No. A 2/1/2008-SEZ]
		ANIL MUKIM It Secv.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2009

का.आ. 575(अ).—विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 31 की उप-धारा (3) तथा (5) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा फाल्टा विशेष आर्थिक जोन प्राधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय फाल्टा विशेष आर्थिक जोन, एम एस ओ - II बिल्डिंग, निजाम पैलेस, कोलकाता में होगा और जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे, अर्थात् :--

क्र. सं.	सदस्य	पदनाम
1.	विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन	—अध्यक्ष, पदेन
2.	संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक, कोलकाता पश्चिम बंगाल अथवा उनका नामिती जिसका स्तर उप विदेश व्यापार महानिदेशक से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
3.	संयुक्त विकास आयुक्त, फाल्टा विशेष आर्थिक जोन अथवा जोन के संयुक्त विकास आयुक्त की अनुपस्थिति में उप विकास आयुक्त	—सदस्य, पदेन
4.	वाणिज्य विभाग में विशेष आर्थिक जोन से संबंधित कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव अथवा उनका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव से कम नहीं होगा	—सदस्य, पदेन
5.	श्री एस. के. नाग, प्रबंध निदेशक, कारबाइड कटिंग टूल्स प्रा. लि.,	—सदस्य
6.	श्री एस. के. सराफ, प्रबंध निदेशक, एकनिट इंडस्ट्रीज लि.,	—सदस्य

New Delhi, the 27th February, 2009

S.O. 575(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-sections (3) and (5) of Section 31 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), the Central Government hereby constitutes the Falta Special Economic Zone Authority, having its head office at Falta Special Economic Zone, MSO-II Building, Nizam Palace, Kolkata, consisting the following members, namely:—

S.No	Members "	Designation
1.	Development Commissioner, Falta Special Economic Zone	—Chairperson, ex-officio
2.	Joint Director General of Foreign Trade, Kolkata, West Bengal or his nominee not below the rank of Deputy Director General of Foreign Trade	—Member, ex-officio
3.	Joint Development Commissioner, Falta Special Economic Zone or in absence of Joint Development Commissioner in the Zone, Deputy Development Commissioner	—Member, ex-officio
4.	Joint Secretary, Department of Commerce dealing with matters relating to Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Under Secretary	—Member, ex-officio
5.	Shri S.K. Nag, MD, Carbide Cutting Tools Pvt. Ltd.	Member
6.	Shri S.K. Saraf, MD, Acknit Industries Ltd.	Member

[F. No. A 2/1/2008-SEZ] ANIL MUKIM, Jt. Secy.